भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 132558

27 SEP 2007

संशोधन पत्र ट्रस्ट डीड

श्रीमती अंजली पुत्री स्व० श्री शिव [illegible] नारायण सिंह निवासी 581/2, जागृति विहार, मेरठ——प्रथम पक्ष

[illegible] श्री शीशपाल सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी पांचली खुर्द, मेरठ ——————द्वितीय पक्ष

[illegible] डा० [illegible] पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी डी-22, प्रोफेसर्स क्वार्टर्स, चौधरी चरण सिंह, विश्व विद्यालय परिसर, मेरठ——————————————तृतीय पक्ष

जोकि तीनो पक्ष धार्मिक प्रवृति के है और समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने के इच्छुक है जिसके लिये प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट नीलकण्ठ एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से अंकन [illegible]0,000/- रुपये (दस हजार रुपये) की धनराशि से स्थापित किया, जिसका मुख्य कार्यालय 581/2,

अंजली शीशपालसिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 448362

11 OCT 2007

:: 2 :

[illegible] है जिसका विधिवत ट्रस्ट डीड 22.07.2006ई0 को निष्पादित हुआ। जिसकी रजिस्ट्री फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या 4 खण्ड 319 के पृष्ठ 221/242 में नम्बर 264 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मेरठ प्रथम हुई। उक्त विलेख में परिस्थिति वश कुछ संशोधन की आवश्यकता है तथा द्वितीय पक्ष सामाजिक कार्य में व निर्धन में अपनी सेवायें देने में असमर्थ है इसलिये द्वितीय पक्ष ने उक्त ट्रस्ट से

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रू.20

Rs.20

INDIA

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

:: 3 :

02AA 402079

त्यागपत्र देकर ट्रस्ट के सचिव के दायित्व से पदमुक्त एवं ट्रस्ट से अवमुक्त हो गये है, तथा तृतीय पक्ष उक्त ट्रस्ट में द्वितीय पक्ष के स्थान पर ट्रस्टी एवं सचिव नियुक्त किये गये है, तथा प्रथम पक्ष पूर्व की भांति अध्यक्ष है जो जीवन पर्यन्त रहेंगे। ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006ई0 में कुछ संशोधन प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने आपसी सहमति से किये हैं। जिनका

अंजली

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 02AA 399210

संशोधन ट्रस्ट डीड मे होना वैधानिक दृष्टिकोण से अनिवार्य है। अतः पक्षकार शान्तिपूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियो की दशा मे ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006ई0 मे निम्न संशोधन करते है।

1- यहकि ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रथम पक्ष श्रीमती अंजली व सचिव तृतीय पक्ष डा0 सोमेन्द्र तोमर होंगे, तथा अध्यक्ष एवं सचिव का कार्यकाल पूर्व विलेख मे संशोधित कर जीवन पर्यन्त रहेगा।

2- यहकि ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006ई0 की धारा-11 मे वर्णित समस्त कार्य अध्यक्ष व सचिव सम्पादित करेंगे एवं सभी समिति एवं उपसमितियों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव ही करेंगे।

3- यहकि ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006 की धारा-13 मे वर्णित पदाधिकारीगण मे उपाध्यक्ष उपसचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद समाप्त कर दिये गये है। ट्रस्ट मे केवल अध्यक्ष एवं सचिव ही होंगे। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य ट्रस्टी होगा वह सदस्य के रूप मे रहेगा।

अंजली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 02AA 399211

4- यहकि ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006 की धारा 23 में बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था को संशोधित करके व्यवस्था की गयी है कि बैंक खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

5- यहकि तृतीय पक्ष को सर्व सम्मति से ट्रस्टी नियुक्त किया है जो जीवन पर्यन्त ट्रस्टी होंगे और ट्रस्ट के सचिव के रूप में जीवन पर्यन्त ट्रस्ट को अपनी सेवायें प्रदान करेंगे।

6- यहकि ट्रस्ट की शेष नियम एवं शर्तें ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2(06ई0 रजिस्ट्रीशुदा जिसकी रजिस्ट्री फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या 4 खण्ड 319 के पृष्ठ 221/242 में नम्बर 264 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मेरठ प्रथम हुई के अनुसार रहेंगी और यह संशोधन पत्र उसका अंग रहेगा और उसके साथ पढ़ा व सुना जायेगा। यहां यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि वर्तमान में ट्रस्ट में कुल दो ट्रस्टी प्रथम पक्ष, श्रीमती अंजली एवं तृतीय पक्ष डा0 सोमेन्द्र तोमर ही है द्वितीय पक्ष श्री जीत पाल सिंह ट्रस्ट से पदमुक्त एवं अवमुक्त हो गये है यानि अलग हो गये है।

अंजली

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTA… …DESH

02AA 399212

7- यहकि समस्त नियमों की पाबन्दी दोनो पक्षों पर होगी एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हो तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते है तथा इसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी व ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

अंजली

…सिंह

मुकिर श्रीमती अंजली के दोनों हाथ की अंगुलियों के निशानात

मुकिर श्री … सिंह के दोनों हाथ की अंगुलियों के निशानात

अंजली

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 02AA 399213

मुकिर डा0 सोमेन्द्र तोमर के दोनो हाथ की उंगलियों के निशानात

तहरीर तारीख 16.10.2007ई0। मसविदा पवन कुमार गर्ग, दस्तावेज लेखक, मेरठ।